अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-कल्याण समिति

292. ग (1) **समिति का गठन**- बिहार विधान-सभा की एक अनूसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति कल्याण समिति होगी; जिसमें सभापति सहित समिति के 19 सदस्य होगे, जिनका अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा द्वारा मनोनयन होगा; परन्तु सरकार का कोई भी मंत्री समिति का सदस्य नहीं होगा या रह सकेगा।

(2) **समिति की अवधि**- समिति का कार्य-काल सामान्यत: एक वर्ष के लिए या नयी समिति की गठन के पर्व तक होगा।

(3) **समिति के कृत्य** - (प) अनुसूचित जाति एवं अनूसूचित जन-जाति के संबंध में भारत के संविधान के विभिन्न अनच्छेदों के सिद्धांत एवं निदेशों के कार्यन्वयन हेतु राज्य सरकार द्वारा बनाये गये अधिनियम, नियम, परिनियम, तथा निर्गत किए गए परिपत्र, आदेश आदि के कार्यान्वयन की समीक्षा एवं "अनुशंसा"

(पप) राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति या दोनों के लिए सम्मिलित नियुक्त आयुक्त या सचिव या पदाधिकारी द्वारा राज्य सरकार को समर्पित प्रतिवेदन या समिति द्वारा मांगे जाने पर समर्पित प्रतिवेदन का अध्ययन एवं अनुशंसा;

(पपप) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के शैक्षणिक एवं आर्थिक विकास हेतु भारत के संविधान के नीति निदेशक सिद्धांतों के अधीन अपना मंतव्य देना:

(पअ) अनूसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति को राज्य के विविध सहायता अधिनियम के अन्तर्गत देय एवं प्राप्त विधिक सहायताओं की समीक्षा;

(4) समिति ऐसे संस्थाओं के कृत्यों एवं प्रलेखों की भी जांच कर सकेगी जो राज्य सरकार या संघ सरकार से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के नाम पर किसी रूप में अनुदान प्राप्त करती हो।

(5) बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के विधान-सभा की समितियों के कार्य संचालन संबंधी सामान्य नियम; जिनका उपबंध इस समिति की नियमावली में नहीं है, लागू होंगे।